न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 166/2026
आदेश

09.07.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. दशरथ सिंह एवं 2. सुजीत सिंह उर्फ छोटेलाल सिंह की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 103(1), 352, 3(5) के अधीन दर्ज बिक्रमगंज थाना कांड सं0 113/2026 में दिनांक 01.04.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.02.2026 को लगभग 03.00 बजे अपराह्न नाली के पानी की निकासी को लेकर सूचक एवं अभियुक्तगण के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि अभियुक्तगण दशरथ सिंह, राजू सिंह तथा सुजीत सिंह उर्फ छोटेलाल सिंह लाठी–डंडा लेकर सूचक के घर पहुंचे तथा गाली–गलौज करते हुए सूचक के साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर बीच–बचाव करने आई सूचक की माता, लखमुनिया कुंवर के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डंडे से मारपीट की गई, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ी। स्थानीय लोगों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना में सूचक को भी सिर में चोट लगन का आरोप है। आगे सूचक का यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने साझा मंशा से उसकी माता की लाठी–डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें पूर्व से चले आ रहे भूमि एवं नाली के पानी की निकासी संबंधी विवाद के कारण इस कांड में झूठा एवं दुर्भावनावश फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठा, मनगढ़ंत एवं निराधार है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष, ठोस अथवा विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हों। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण इस वाद में दिनांक 01.04.2026 से

लगातार
09.07.2026

कारा में है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध वाद का अनुसंधान पूर्ण हो गया है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने भी आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक की मां का हत्या करने का अभियोग है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों के जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्तगण इस वाद के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक की मां का हत्या करने का अभियोग है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्तों का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।